भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 176
(जिसका उत्तर गुरुवार, 05 दिसंबर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया गया)

सरकारी जमा हेतु अनिवार्य बीमा सुरक्षा

176. श्री कुलदीप बिश्नोईः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का कंपनियों द्वारा संचित सरकारी जमा राशि हेतु बीमा सुरक्षा करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) धोखाधड़ीपूर्ण धन-संग्रह योजनाओं से निवेशकों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई/की जा रही है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम की धारा 73(2)(घ) में एक समर्थकारी प्रावधान है जिसके द्वारा जनता से जमाराशि स्वीकार करने वाली अनुमति प्राप्त कंपनियों के लिए "इस प्रकार के जमा बीमा का प्रावधान इस तरीके से और उस सीमा तक जैसा कि विहित किया जाए" करना अपेक्षित है। इस प्रावधान को लागू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उपयुक्त नियम तैयार करना अपेक्षित होगा।

*****